मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

निविदा आमंत्रण सूचना

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य संचालन हेतु आउट सोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन (कलेक्टर भोपाल द्वारा निर्धारित दर) पर सफाई कर्मचारी (कार्यालयीन सफाई संबंधी कार्य हेतु) सेवायें प्रदायकर्ता पंजीकृत फर्म/संस्था से दरें आमंत्रित हैं ।

निविदा की शर्तें बोर्ड की बेवसाईट www.mppcb.nic.in पर देखी व डाऊनलोड की जा सकती हैं । निविदा प्रपत्र बोर्ड कार्यालय से प्रकाशन दिनांक से कार्यालयीन दिवस एवं समय पर दिनांक 22/06/2015 शाम 3.00 बजे तक राशि रू. 1,000/- शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । निविदायें प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 23/06/2015 को अपरान्ह 1.00 बजे है एवं निविदा उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी ।

मुख्य रसायनज्ञ (प्रशासन)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

निविदा प्रपत्र

कार्य का विवरण : कार्यालयीन साफ–सफाई हेतु

निविदा प्रपत्र जमा करने की दिनांक	:	23/06/2015, अपरान्ह 01.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र को खोलने की दिनांक	:	23/06/2015, अपरान्ह 03.00 बजे
निविदा प्रपत्र मूल्य	:	रू0 1000/– (एक हजार रूपये मात्र)
धरोहर राशि मूल्य	:	रू0 5000/– (पांच हजार रूपये मात्र)

म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–5, पर्यावरण परिसर,
अरेरा कालोनी,
भोपाल (म.प्र.) – 462016

वेबसाईट www.mppcb.nic.in

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

निविदा

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा कार्यालयीन साफ-सफाई कार्य के लिए आऊट सोर्सिंग के माध्यम से दैनिक वेतन (कलेक्टर दर पर) उपलब्ध कराए जाने हेतु सीलबंद निविदाएँ दो लिफाफा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव) में अनुभवी एवं पंजीकृत फर्म/संस्थाओं से आमंत्रित की जाती हैं ।

: निविदाकार हेतु आवश्यक शर्ते :

1. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग के माध्यम से सफाई कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने वाली फर्म/एजेन्सी का म.प्र. शासन के नियमानुसार संबंधित विभाग में सेवा प्रदाय हेतु पंजीयन अनिवार्य होगा।
2. संबंधित फर्म/एजेन्सी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, राज्य कर्मचारी बीमा निगम, के अधीन नियमानुसार पंजीयन अनिवार्य होगा ।
3. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए जाने वाले अकुशल श्रमिक के ईपीएफ/ईएसआई का भुगतान करना होगा, जिसके लिए राशि म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।
4. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराए गए सफाई कर्मी को प्रत्येक माह कलेक्टर दर पर दैनिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा । समय-समय पर श्रम विभाग/कलेक्टर द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी की दरों का पालन संबंधित फर्म/ एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा ।
5. संबंधित फर्म/एजेन्सी को शासन द्वारा निर्धारित सेवा कर (सर्विस टैक्स) का भुगतान करना होगा ।
6. संबंधित फर्म/एजेन्सी का पिछले तीन वर्षो का टर्नओवर रू. 50.00 लाख प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिए । पिछले तीन वर्षो के आयकर रिटर्न की प्रति भी प्रस्तुत करें ।
7. फर्म/एजेन्सी के पास साफ-सफाई कार्य कराने का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव प्रतिष्ठित संस्थाओं का होना चाहिए, प्रति संलग्न करें । निविदा प्रपत्र बोर्ड की वेब-साईट से डाऊनलोड करने पर निविदा मूल्य रू. 1000/- की डी. डी. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम की संलग्न कर अनिवार्य है, अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।

8. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु सेवा शुल्क (सर्विस चार्जेस) का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा ।

9. संबंधित फर्म द्वारा सभी आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है ।

10. संबंधित फर्म द्वारा भुगतान किये गये ईपीएफ, ईएसआई, सर्विस टेक्स, इनकम टेक्स इत्यादि देय सभी करों की जमा करने वाली रसीद की एक प्रति राशि जमा करने के 30 दिवस (एक माह) के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराई जाना आवश्यक होगा ।

11. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए गए सफाई कर्मी के शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र, चिकित्सा प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र आदि की सत्यता प्रमाणित की जाएगी ।

12. दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु संबंधित फर्म/एजेन्सी की दरें एक वर्ष हेतु मान्य होंगी । इसके लिए अनुमोदित न्यूनतम दर पर संबंधित फर्म/एजेन्सी से विभाग द्वारा एक अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाएगा, जिसमें आवश्यकतानुसार दोनों पक्षों की सहमति से अवधि की वृद्धि की जा सकेगी ।

13. संबंधित फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर आउट सोर्सिंग पर उपलब्ध कराए जाने वाले अकुशल श्रमिक को विभाग में अन्य किसी भी सुविधा, भत्ते की पात्रता नहीं होगी और न ही उसे विभाग में नियमित अथवा स्थाई नियुक्ति का अधिकार होगा ।

14. निविदाकार फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय धरोहर राशि के रूप में रू. 5000.00 (रूपये पाँच हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के नाम से जमा कराई जाना होगी, जो निविदा स्वीकृत न होने की दशा में संबंधित फर्म/संस्था को वापसी योग्य होगी ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

15. फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए जाने वाले कर्मी अच्छे चाल-चलन के होंगे, वे आपराधिक चरित्र का न हो तथा सफाई कर्मी ड्यूटी पर सदैव स्वच्छ वर्दी में रहेंगे ।

16. फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर उपलब्ध कराए गए अकुशल श्रमिक के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व प्रदाता फर्म/संस्था का होगा । कभी किसी प्रकार की यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदाता फर्म/संस्था की होगी।

17. फर्म/एजेन्सी द्वारा दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर सफाई कर्मी प्रदाय करने के लिए इस कार्यालय से आदेश जारी के बाद आदेश प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर प्रदाता फर्म/संस्था को रूपये 100.00 (एक सौ रूपये मात्र) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से रूपये 25000.00 की धरोहर राशि एफडीआर के रूप में उपलब्ध करानी होगी । निविदाकार को निर्धारित शर्तों के अधीन दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर सफाई कर्मी अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराना होगा । यदि नियमानुसार अनुबंध करने एवं दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर अकुशल श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि बोर्ड के पक्ष में राजसात की जाएगी । दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर अकुशल श्रमिक प्रदाता फर्म/संस्था अथवा म.प्र. शासन किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर उक्त अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा । सफाई कर्मी की कार्य हेतु उपयुक्तता, सेवा की गुणवत्ता आदि को देखते हुए अनुबंध की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी । अनुबंध के पूर्व फर्म/ संस्था को अकुशल श्रमिक का प्रोवीडेंट फंड अकाउण्ट नंबर प्रस्तुत करना होगा तथा अंडर टेकिंग प्रस्तुत करना होगी कि फर्म/संस्था द्वारा अकुशल श्रमिक की ईपीएफ एवं ईएसआई की राशि नियमित रूप से उनके खाते में जमा कराई जाती रहेगी अन्यथा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जा सकेगा ।

18. निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा प्रपत्र एवं प्रदाता फर्म/संस्था द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax: 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

19. अनुबंध अवधि में कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। यदि उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त ऑफर में अन्य शर्ते दी जाती हैं तो निविदा मान्य नहीं होगी ।

20. देयक से नियमानुसार समय-समय पर प्रचलित आयकर (टीडीएस) की कटौती की जायेगी । इस हेतु दैनिक वेतन (कलेक्टर दर) पर सफाई कर्मी श्रमिक प्रदाता फर्म/संस्था को अपना पैन क्रमांक देना होगा, जिसका उल्लेख निविदा/देयकों पर होना अनिवार्य है । इसी आधार पर संबंधित फर्म/संस्था को टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा ।

21. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को होगा ।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभयपक्षों को मान्य होगा ।

23. समिति द्वारा सभी निविदाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा तथा चाहे गए सभी आवश्यक अभिलेखों की विश्लेषण उपरान्त तुलनात्मक पत्र तैयार किया जायेगा।

24. सप्ताह में अवकाश श्रमिक अधिनियम के प्रावधान अनुसार सर्विस प्रोवाईडर द्वारा देय होगा ।

25. सफाई कर्मी की आयु 18 वर्ष से कम व 50 वर्ष से अधिक न हो । सभी सफाई कर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से फिट होना अनिवार्य होगा ।

26. सफाई कर्मी की ड्रेस की व्यवस्था का उत्तरदायित्व चयनित संस्था का होगा ।

27. ठेकेदार को निम्नलिखित अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, इनसे संबंधित समस्त भुगतानों की जवाबदेही भी ठेकेदार की होगी :-

    I. न्यूनतम वेतन अधिनियम।
    II. श्रम अधिनियम।
    III. वेतन एवं बोनस एक्ट।
    IV. ईएसआई एक्ट।

V. इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट।

VI. वर्क्स मेन कॉपन्सेशन एक्ट।

VII. ईएसआई।

VIII. ईपीएफ अधिनियम।

IX. सेवा कर अधिनियम।

इसके अतिरिक्त भी किसी अधिनियम का यदि श्रम कानून अथवा अन्य कानून के अन्तर्गत पालन करना अनिवार्य हो तो इसका पालन भी ठेकेदार की जवाबदारी होगी ।

28. अनुबंधकर्ता अधिकारी द्वारा किया गया अनुबंध किसी भी समय एक माह के लिखित नोटिस द्वारा भंग किया जा सकेगा । अनुबंध भंग होने की स्थिति में ठेकेदार को कारण जानने का अथवा किसी भी प्रकार की संभावित हानि की पूर्ति हेतु दावा करने का अधिकार नहीं होगा ।

29. समस्त कर्मचारी अनुबंध शर्तो के अधीन कार्य करेंगे, किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति, अवकाश, बीमारी आदि की स्थिति में ठेकेदार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी ।

30. कर्मचारी की उपस्थिति पंजीका दैनिक पारी अनुसार सत्यापन किया जाएगा, निरीक्षण के समय अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के पारिश्रमिक से कटौती की जावेगी । कर्मी के असंवैधानिक कार्य में लिप्त पाये जाने पर तत्काल कार्य से हटाना अनिवार्य होगा, इस प्रकार की 3 बार पुनरावृत्ति होने पर संस्था का ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

31. न्यूनतम दर वाली निविदा मान्य की जावेगी ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

32. सफल निविदाकार अनुबंध पश्चात् निर्धारित दिनांक से कार्य प्रारंभ नहीं करता है तो उसका ठेका समाप्त कर धरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी।

33. ठेकेदार द्वारा कर्मचारियों को ईपीएफ के जो अंशदान जमा किये जावेंगे, उनके बैंक चालान फार्म की प्रमाणित प्रति, कर्मचारियों के खाता क्रमांक सहित अगले माह के भुगतान देयकों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उस माह का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

34. दिये गये प्रपत्र को पूर्ण कर निविदाकर्ता प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जावेगा ।

35. अध्यक्ष/सदस्य सचिव/स्थापना शाखा प्रभारी सफाई व्यवस्था से संतुष्ट न होने पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे (कम से कम 500/- एवं अधिक से अधिक 2500/-)।

36. निविदाकर्ता/फर्म के पास साफ-सफाई में प्रयुक्त होने वाली मशीनरीज जैसे : फ्लोर ग्राईडर, हाईस्पीड पालीशर, हैण्ड ग्राईडर, केमीकल बफिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, प्रेशर वॉश (डब्ल्यू.सी. हेतु) तथा स्वीपिंग मशीन होनी चाहिए तथा उनका विवरण (नग सहित) सूची सहित संलग्न करें।

37. सफाई व्यवस्था संबंधी सेवा प्रदायकर्ता को बोर्ड मुख्यालय, प्रयोगशाला एवं क्षेत्रीय कार्यालय भवन एवं उसके आस-पास के समस्त खुले क्षेत्र की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु कम से कम 04 सफाई कर्मचारी प्रातः 8.30 से मध्यान्ह 3.30 बजे तक एवं एक सफाई कर्मचारी प्रातः 10.00 बजे से सायंकाल 06 बजे तक नियुक्त करना होगा, सफाई सेवा प्रदायक संस्था द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही का संचालन करना होगा :-

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016
(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

(अ) प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य :

I. परिसर के बाहर की सड़कों, पोर्च एवं गलियारों की सफाई, भवन के बाहर नाली सफाई ।

II. भवन के अंदर सभी गलियारों की सफाई ।

III. सभा कक्षों की सफाई ।

IV. छत पर जाने वाली सीढ़ियों तथा छत की सफाई ।

V. भवन में बने सभी स्टाफ के उपयोग में आने वाले मूत्रालयों की पानी से धुलाई तथा उनकी सफाई ।

VI. जहाँ रद्दी की टोकरी रखी जाती है, उसके सभी रद्दी कागजों को हटाना।

VII. भवन के अंदर गलियारों का कपड़े से पौंछा ।

VIII. प्रतिदिन सभी शौचालयों को फिनाईल से धोया जाना ।

IX. सभी शौचालयों में नैफथेलिन की गोली रखा जाना ।

X. सभी वॉश बेसिन, टायलेट शीट तथा दीवारों से विभिन्न प्रकार के धब्बे सर्फ या क्लीनर से साफ किया जाना ।

XI. शौचालयों में एयर फ्रेशनर, फिनाईल की गोलियों का उपयोग ।

XII. शौचालय की दिन में एक बार प्रातः 10.00 बजे से पहले तथा दूसरी बार 2.00 से 4.00 बजे के बीच सफाई की जायेगी ।

XIII. भवन में जहाँ-जहाँ बोर्ड लगे है, विज्ञापन पटल हैं, उनकी सफाई तथा धूल आदि हटाना ।

XIV. प्रत्येक कमरे में रद्दी की टोकरी में डाले गये अनुपयोगी कागजों को बाहर कूड़ेदान में डाला जाना ।

(ब) साप्ताहिक कार्य :

I. बाहर गलियारों को सप्ताह में एक बार पानी से धोया जाना, धोते समय डिटरर्जेंट पाउडर का उपयोग किया जायेगा ।

II. प्रत्ये कक्ष के दरवाजों, खिड़कियों तथा उनमें लगे कॉच की गीले कपड़े से सफाई ।

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

III. बाहर की दीवारों की डस्टिंग तथा जहाँ-जहाँ मकड़ी का जाला लगा हो उसके हटाया जाना जैसे : विभिन्न शेड्स के नीचे, बरामदे की छत पर । इन जालों को हटाने की व्यवस्था लम्बे डंडे में झाडू बांधकर की जायेगी ।

IV. प्लास्टिक की डस्टबिन जहाँ-जहाँ कमरे में रखीं हैं अथवा बाहर बरामदे में रखी हैं उन्हें पानी से धोया जाना ।

V. प्रत्येक कमरे के फर्नीचर, अलमारी, रैक्स की कपड़े सफाई ।

(स) एक पक्ष (15 दिन) में किये जाने वाले कार्य :

I. वैक्यूम क्लीनर की मदद से पर्दे, सौफे, फर्नीचर आदि की सफाई ।

II. वैक्यूम क्लीनर से कार्यालय में जहाँ कहीं कारपेट, फर्श अथवा किसी अन्य वस्तु की सफाई की जाना हो उसे किया जायेगा ।

(द) प्रत्येक माह किये जाने वाले कार्य :

I. बिजली की फिटिंग, ट्यूब लाईट, बल्ब, प्वाइंट के होल्डर आदि की मरम्मत एवं सफाई ।

II. सभी शौचालयों के नल की टोंटी, पानी सप्लाई, पाईप के लीकेज, वॉश-बेसिन आदि की सफाई सर्फ आदि से की जायेगी ।

मुख्य रसायनज्ञ (प्रशासन)

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

साफ-सफाई कार्य हेतु निविदा प्रपत्र-1 तकनीकी विवरण

1. निविदाकार का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. कार्य का पूर्ण अनुभव : ....

   (भवन का क्षेत्रफल सहित कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र संलग्न करें)
4. निविदाकार का पूर्ण पता : ....

   ....

   दूरभाष नम्बर कार्या0..............................निवास ....

   मोबाईल नं0................................ फैक्स नं0..................................
5. आयकर पेनकार्ड/पंजीयन कमांकः ....
6. सेवाकर पंजीयन कमांक तथा सेवाकर कोड क0 :..................................
7. फर्म का रजिस्ट्रेशन : ....
8. ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन कमांक : ....
9. ई. एस. आई. रजिस्ट्रेशन कमांक : ....
10. बैंक ड्रफ्ट कमांक................दिनांक................रुपये......... एंव बैंक का नाम................
11. साफ-सफाई कार्य हेतु उपलब्ध मशीनों की सूची संलग्न करें ।
12. विगत तीन वर्षो वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में टर्न ओवर की जानकारी तथा उसके परिपेक्ष्य में विगत तीन वर्ष जमा किये गये आयकर विवरणी की छायाप्रतियाँ ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम एवं पूरा पता

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल-462016

(0755) 2464428, 2466191 Fax : 0755 - 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)

विषय :- बोर्ड मुख्यालय की साफ-सफाई कार्य हेतु निविदा प्रदान करने बाबत् ।

महोदय,

आपके द्वारा आमंत्रित की गई निविदा सूचना प्रकाश दिनांक......................., बोर्ड मुख्यालय की साफ-सफाई हेतु मैंने निविदा की शर्तें पढ़ ली हैं एवं उनसे सहमत होकर निम्नानुसार निविदा की दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ :-

मासिक चार्ज	सुपरवाईजर कुशल दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रू.	सफाईवाला अकुशल दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रू.	साफ-सफाई हेतु उपयोग की जाने वाली मशीनों का चार्ज प्रतिमाह रू.
न्यूनतम वेतन			
पी.एफ.			
ई.एस.आई.सी.			
सर्विस टेक्स			
अन्य चार्ज			
कुल योग्य			

नोट : यदि स्पेस कम पड़े तो अलग से शीट संलग्न करें ।

निविदाकार के हस्ताक्षर
निविदाकार का नाम एवं पूरा पता